न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 24/2019

1 महेन्द्र पुत्र नथूराम जाति स्वामी निवासी ग्राम बिरानियां तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 हनुमानाराम पुत्र चन्द्राराम जाति जाट।
2 चिमनाराम पुत्र सुरजाराम जाति स्वामी निवासीगण बिरानियां तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
3 तहसीलदार फतेहपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्व निर्णय दिनांक 27.02.2019 न्यायालय उपखण्ड फतेहपुर पीठासीन अधिकारी रेनू मीणा आर.ए.एस. मुकदमा नम्बर 79/2018 बउनवानी हनुमानाराम बनाम महेन्द्र आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अपील संख्या 107/2019

1 तारामणी पुत्री नथूराम।
2 भागोती पुत्री नथूराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

3 सुमित्रा पुत्री नथूराम।
4 सुमन पुत्री नथूराम।
5 बसला पुत्री नथूराम समस्त जाति स्वामी निवासीगण बिरानियां तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 हनुमानाराम पुत्र चन्द्राराम जाति जाट।
2 चिमनाराम पुत्र सुरजाराम जाति स्वामी।
3 महेन्द्र पुत्र नथूराम जाति स्वामी निवासीगण ग्राम बिरानियां तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
4 तहसीलदार फतेहपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्व
निर्णय दिनांक 27.02.2019 न्यायालय उपखण्ड
फतेहपुर पीठासीन अधिकारी रेनू मीणा आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 79/2018 बउनवानी हनुमानाराम
बनाम महेन्द्र आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री पोखरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–18-2-J

यह दोनों अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 79/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीले एक ही आदेश के विरूद्ध होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 56/1 रकबा 4.29 हैक्टर वाके ग्राम बिरानियां तहसील फतेहपुर जिला सीकर में 1/2 हिस्से के, अपीलांट एवं अपीलान्ट की माता शान्ती देवी, रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार रहे है। जिनमें से अपीलांट की माता शान्ती देवी का वर्ष 2009 में ही स्वर्गवास हो गया था जिसके प्रथम श्रेणी के वारिस अपीलान्टस एवं अपीलान्टस की बहिने तारामणी, बसला, भागोती, सुमित्रा, सुमन है। जिन्हे अपनी माता के उतराधिकार में भूमि प्राप्त हुई। परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट की बहिनों को पक्षकार नहीं बनाया जबकि वे आवश्यक पक्षकार थी उन्हें पक्षकार बनाये बिना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन संख्या 2113/2015 (पुन दर्ज संख्या 79/2018) इस आशय का पेश किया कि– खसरा संख्या 99 में आवागमन का एक मात्र प्रचलित रास्ता ग्राम बिरानिया से दिनारपुरा जाने वाले कटानी रास्ते से खसरा संख्या 56/1 में से पश्चिमी हिस्से में से होकर प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 99 में जाता है। उक्त रास्ते से प्रार्थी अपने खेत में आता जाता है खसरा संख्या 99 में आने जाने का अन्य कोई विकल्प कभी नहीं रहा है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अतः खसरा संख्या 99 में जाने हेतु ग्राम बिरानिया से ग्राम दीनारपुरा जाने वाले कटाणी रास्ते से खसरा संख्या 56/1 में पश्चिमी साईड में जाने वाला रास्ता निर्धारित किया जावे तथा रिकार्ड में दर्ज किया जावे। उक्त आवेदन को बिना विधिक प्रकिया अपनाये निर्णित कर दिया था जिसी अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के समक्ष प्रस्तुत हुई परन्तु माननीय न्यायालय हाजा द्वारा निरस्त कर दी गई थी जिस कारण अपीलान्ट ने योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.03.2016 एवं न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2017 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी संख्या टी.ए./3468/2017/सीकर बउनवानी महेन्द्र बनाम हनुमानाराम प्रस्तुतकी जिसका निर्णय दिनांक 03.08.2018 को हुआ जिसमें दोनो निर्णयो को अपास्त कर पत्रावली को योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि – प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सर्वप्रथम सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक अथवा तहसीलदार स्वयं से उभयपक्ष को सुचित कर नवीन मौका रिपोर्ट तलब करे, तत्पश्चात उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। परन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रकिया को अपनाये सरसरी तौर पर ही चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किया है। इससे व्यथित होकर अप्रार्थी महेन्द्र की ओर से अपील संख्या 24/2019 प्रस्तुत की गई है एवं अपीलांट की बहिनें तारामणी, भागोती, सुमित्रा, सुमन, बसला की ओर से धारा 5 एवं धारा 96 के आवेदन के साथ अपील संख्या 107/2019 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानी/टी.ए./3468/2017/सीकर बउनवानी महेन्द्र बनाम हनुमानराम मे दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना नही की है। माननीय राजस्व मण्डल ने योग्य अधिनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया था कि– सर्वप्रथम सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक अथवा तहसीलदार स्वयं ने उभयपक्ष को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सुचित कर नवीन मौका रिपोर्ट तलब करे। तत्पश्चात उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उक्त निर्देश के साथ पत्रावली रिमाण्ड होने पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त होने पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने मुकदमा संख्या 79/2018 के रूप में दर्ज किया एवं दिनांक 12.10.2018 को आदेशिका लिखी गई जिसमें तहसीलदार से उभयपक्षकारों को सुचित कर मौका रिपोर्ट भिजवाने का निर्देश दिया। परन्तु मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जावे तो स्पष्ट है कि अपीलान्ट को मौका देखने से पूर्व नोटिस जारी नही किया नाही सूचना दी गई तथा गलत रू‍प से यह अंकित कर दिया कि– मोबाइल पर सूचना दी। नाही मोबाईल पर सूचना के आधार सैकड़ो किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति उसी समय तलब किये स्थान पर पहुंच सकता है परन्तु फर्द मौका रिपोर्ट एकपक्षीय तैयार करने के लिए रिपोर्ट में सुचित करने का गलत अंकन किया। इसलिए उक्त रिपोर्ट स्थिर रहने योग्य नही थी। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते का अंकन है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर तथ्य का विवेचन नहीं किया है। मौका रिपोर्ट के विरूद्ध अपीलांट ने आपत्ति प्रस्तुत की थी। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की आपत्ति को विचाराधीन निर्णय के साथ खारिज किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को आपत्ति के निर्णय के विरूद्ध रिविजन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन से स्पष्ट था कि – कृषि भूमि खसरा संख्या 56/1 के 1/4 हिस्सा की रिकार्डेड खातेदार शान्ति देवी का स्वर्गवास हो गया था जिसके वारिसान अपीलान्ट के अलावा पुत्रियां बसला, तारामणी, भगवती, सुमित्रा, सुमन सहखातेदार होने के बावजूद भी उन्हें नातो पक्षकार बनाया नाही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है फिर भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने चुनौतीग्रस्त आदेश पारित कर दिया जिसे अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है। अपील संख्या 107/2019 के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए धारा 5, धारा 96 एवं अपील स्वीकार करने का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

निवेदन किया । विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनो के समर्थन में आर आर टी 2014(1) पेज नम्बर 40, डी एन जे रेव. 2021(2) पेज नम्बर 801, डी एन जे रेव 2021 (2) पेज नम्बर 1449, डी एन जे रेव 2021(2) पेज नम्बर 763, डी एन जे रेव 2021(2) पेज नम्बर 1270, डी एन जे रेव 2021(1) पेज नम्बर 681 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि माननीय राजस्व मण्डल के के निर्देशों की पालना में उभयपक्ष को सूचित किया जाकर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। फर्द रिपोर्ट पर कार्मिक व उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय में आवश्यक पक्षकारों को संयोजित किया गया है। विचारण न्यायालय ने आपत्ति का विधि सम्मत निस्तारण कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपील न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 में विवादित भूमि में शान्ति पत्नि स्वर्गीय नाथूराम हिस्सा 1/4 जाति स्वामी साकिनदेह खातेदार दर्ज है। आवेदक हनुमानाराम द्वारा शान्ति देवी को अथवा उसकी विधिक वारिसान तारामणी आदि को पक्षकार संयोजित नहीं किया है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन से स्पष्ट था कि – कृषि भूमि खसरा संख्या 56/1 के 1/4 हिस्सा की रिकार्डेड खातेदार शान्ति देवी का स्वर्गवास हो गया था जिसके वारिसान अपीलान्ट के अलावा पुत्रियां बसला, तारामणी, भगवती, सुमित्रा, सुमन सहखातेदार होने के बावजूद भी उन्हें नातो पक्षकार बनाया नाही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है। ऐसी स्थिति में अपील संख्या 107/2019 में अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व धारा 96 न्यायहित में स्वीकार योग्य पाए जाते है।

जहां तक के प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानी/टी.ए./3468/2017/सीकर बउनवानी महेन्द्र बनाम हनुमानराम मे दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना नही की है। माननीय राजस्व मण्डल ने योग्य अधिनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया था कि– सर्वप्रथम सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक अथवा तहसीलदार स्वयं ने उभयपक्ष को सुचित कर नवीन मौका रिपोर्ट तलब करे। तत्पश्चात उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उक्त निर्देश के साथ पत्रावली रिमाण्ड होने पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त होने पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने मुकदमा संख्या 79/2018 के रूप में दर्ज किया एवं दिनांक 12.10.2018 को आदेशिका लिखी गई जिसमें तहसीलदार से उभयपक्षकारों को सुचित कर मौका रिपोर्ट भिजवाने का निर्देश दिया। किन्तु विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट को सूचित किए जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। विचारण न्यायालय ने इस आपत्ति का पृथक से निस्तारण नही कर विचाराधीन अंतिम निर्णय के साथ ही आपत्ति का निस्तारण किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के पास आपत्ति के निर्णय के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करने का अवसर नहीं था। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधि सम्मत प्रकिया का पालन नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशों की पालना भी नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 107/2019 में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 एवं धारा 96 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है। अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। गुणावगुण पर किए गये उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपील संख्या 107/2019 के अपीलांट को बतौर अप्रार्थीगण पक्षकार संयोजित कर माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशों की पालना में उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट तैयार कर बाद सुनवाई विधिक प्रकिया अनुसार प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 18.1.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर